न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 15/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– यशवंत पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी सुभाष चौक जोधपुर 2– उम्मेदसिह पुत्र बाघसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूनी जिला जोधपुर 3– हनुमानराम ढाका पुत्र नेनुराम जाति जाट निवासी सुंथला जोधपुर 4– धर्मेन्द्र बोहरा पुत्र मदनकुमार जाति ब्राह्मण निवासी चांदपोल जोधपुर 5– प्रिती मालवीय पत्नी आलोक मालवीय निवासी सी शास्त्रीनगर जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2020 अनवान यशवंत वगैरा बनाम सरकार मे दिनांक 1–1–2021 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री हनुमान प्रजापति अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–03–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 228/1 रकबा 20 बीघा वाके ग्राम करनियाली पटवारी क्षेत्र करनियाली तहसील लूनी मे आई हुई है जो अपीलांटगण द्वारा पूर्व खातेदार से तीन अलग अलग विक्रयपत्रो से खरीद की थी तथा उक्त बेचाननामे के आधारपर अपीलांटगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हुआ । वकील अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि यह भूमि खसरा नंबर 228 का भाग है, जो भूमि प्रार्थी द्वारा खरीद की गई थी, वह भूमि खसरा नंबर 228 की पश्चिमी दिशा मे काबिज है तथा उक्त भूमि पर वक्त खरीद से कब्जा है, जिसकी तरमीम करवाने बाबत प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो से निवेदन किया परंतु राजस्व कर्मचारियो ने जहां पर प्रार्थीगण का कब्जा है एवं क्रय की गई है, उस स्थान से भिन्न स्थान पर तरमीम कर दी जो अशुद्ध होने से उसे शुद्ध करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके साथ नजरी नक्शा भी पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की ओर से जवाब भी प्रस्तुत हुआ जिसमे तहसीलदार ने प्रार्थी के कब्जे को नजरी नक्शे के अनुसार स्वीकार किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त स्वीकृति को

इंकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–1–2021 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेकर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन एवं अध्ययन किये बिना तथ्यो से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलांट अपनी खरीदसुदा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 228/1 पर वक्त खरीद से ही काबिज है तथा पूर्व के खातेदार भी इसी भूमि पर काबिज थे परंतु अपीलांट की खरीदसुदा एवं कब्जासुदा भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे मे अन्यत्र कर दी जाने से इस अशुद्ध तरमीम से विवाद के बढने की संभावना के मध्यनजर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की समरूपता के लिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत राजस्व नक्शे मे तरमीम शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे कानूनी प्रावधानो का विश्लेषण न करते हुए मनमाना विवेचन करते हुए खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ है जिसमे उक्त खसरा नंबर 228/1 की भूमि पर प्रार्थीगणो का कब्जा होना स्वीकारा है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो के विपरीत कयास के आधार पर अपीलाधीन निर्णय मे संभवतः बजरी लीज हेतु अन्य जगह कब्जा कर तरमीम करवाना चाहते है, को आधार बनाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया जबकि संभावनाओं के आधार पर कोई आदेश पारित नही किया जा सकता एवं न ही इस बाबत कोई दस्तावेज या साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत एवं मनमाना होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–1–2021 को निरस्त कर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार कर खसरा नंबर 228/1 रकबा 20 बीघा की तरमीम शुद्ध करने एवं नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अंकन किये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट अपनी खरीदसुदा एवं तरमीमसुदा भूमि की तरमीम नदी के पास का खसरा होने से अपनी सुविधा अनुसार संभवतः बजरी लीज हेतु करवाना चाहते है जबकि अपीलांट के खाते मे दर्ज खसरा नंबर 228/1 की 20 बीघा तरमीतसुदा भूमि पर किसी अन्य का कब्जा या विवादित नही है इसलिए

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के तरमीम दुरस्ती के प्रार्थना पत्र को खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–1–2021 आदि का गौर से अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अपीलांटगण की खरीदसुदा एवं कब्जासुद रेकर्डेड खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 228/1 रकबा 20 बीघा वाके ग्राम करनियाली पटवार क्षेत्र करनियाली तहसील लूनी की राजस्व नक्शे मे जहां पर प्रार्थीगण का कब्जा है, उस स्थान से भिन्न स्थान पर तरमीम होने से उक्त अशुद्ध तरमीम को शुद्ध करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया जिसके साथ नजरी नक्शा भी पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत जवाब आदि का अवलोकन कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–1–2021 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की है ।

उक्त अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि उसके द्वारा खरीदसुदा खसरा नंबर 228/1 की भूमि की पूर्व मे कोई तरमीम की हुई नही थी जिसकी तरमीम करवाने हेतु निवेदन किया जाने पर अपीलांट की खरीदसुदा एवं कब्जासुद खातेदारी भूमि के अनुरूप राजस्व नक्शे मे तरमीम नही कर अन्यत्र कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम कर दी जाने पर अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्व नक्शे मे हुई त्रुटिपूर्ण तरमीम को शुद्ध करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अपीलाधीन निर्णय के द्वारा गलत तरीके से खारीज कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार लूनी का जवाब जो तलब किया गया था जिसमे स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलांटगण के खरीदसुदा एवं कब्जासुद खातेदारी के खसरा नंबर 228/1 रकबा 20 बीघा भूमि पर किसी अन्य का कब्जा या विवादित नही है तथा अपीलांट की उक्त खातेदारी की भूमि उनके द्वारा क्रय करने से पूर्व से ही तरमीमसुदा है तथा प्रार्थीगण ने जमाबंदी, नक्शा ट्रेस आदि देखकर ही भूमि क्रय की है तथा वक्त खरीद से अपीलांटगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है । तहसीलदार की रिपोर्ट मे यह भी उल्लेख है कि अपीलांटगण/प्रार्थी की खरीदसुदा खसरा नंबर की भूमि नदी के पास होने से संभवतः बजरी लीज हेतु अन्यत्र अपनी सुविधा अनुसार स्थान परिवर्तन चाहते है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होना बताया है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार लूनी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–1–2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर